भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1530

दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों हेतु निधियां

†1530. श्री रवनीत सिंहः

श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सुझाव दिया है कि ग्राम पंचायतें अपना राजस्व जुटाने के लिए अपनी संपत्ति पट्टे पर दे सकती हैं;

(ख) यदि हांतो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ,ं;

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में ग्राम पंचायतों को देशभर में की जाने वाली कई गतिविधियों का सुझाव देने के लिए जारी परामर्श का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी या सरकार द्वारा धनराशि जारी करने में देरी के कारण ग्राम पंचायतों की ढांचागत और विकासात्मक गतिविधियों में कोई बाधा है और यदि हांतो , तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ग्राम पंचायतों को समय पर और पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने 'ग्राम सभा को जीवंत बनाने' के विषय पर दिनांक 16.08.2021 को जारी अपने परामर्शिका में ग्राम सभा के एजेंडे में चर्चा के लिए महीनेवार विषयों को शामिल करने के लिए एक सैम्पल कैलेंडर का सुझाव दिया है। इस कैलेंडर में, ग्राम पंचायत द्वारा समीक्षा के लिए सुझाए गए विषयों में, पंचायत के अपने राजस्व स्रोतों में सुधार के लिए सामान्य संपत्तियों को पट्टा पर रखने का सुझाव भी शामिल है।

(ग) "ग्राम सभा को जीवंत बनाने" विषय पर पंचायती राज मंत्रालय के दिनांक 16.08.2021 के परामर्शिका में जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें से प्रमुख हैं ग्राम सभा की बैठकों के संचालन की आवृति और कार्यप्रणाली का पुनर्गठन, एजेंडा की सामग्री और ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श की प्रकृति, ग्राम सभा की बैठकों में जिला / प्रखंड प्रशासन के अधिकारियों की भागीदारी, ग्राम सभा में पात्र नागरिकों की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करने के उपाय और ग्राम पंचायतों की उप-समितियों को मजबूत करने के संदर्भ में विकसित की जाने वाली सहायता प्रणाली।

यह भी सलाह दी गई है कि ग्राम सभा की बैठकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर अग्रिम रूप से तैयार किया जाए, जिसके लिए ग्राम सभा के एजेंडा में चर्चा के लिए महीनेवार एक सांकेतिक विषयों को शामिल किया जाने का सुझाव दिया गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों को निरपवाद रूप से कम से कम एक उप-समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए और ग्राम पंचायतों के दैनिक कार्यों में वार्ड सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, रोटेशन द्वारा, ग्राम पंचायत कार्यालय के रखरखाव और कामकाज संबंधी कार्य सौंप कर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(घ) और (ङ): संविधान का अनुच्छेद 243छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का प्रावधान करता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्रधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थातः-

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।

ये प्रावधान पंचायतों को उन्हें दी गई निधियों के साथ पर्याप्त ढांचागत और विकासात्मक गतिविधियों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं। चौदहवें वित्त आयोग के तहत अवार्ड अवधि 2015-2020 के लिए, 26 राज्यों में ग्राम पंचायतों को 2,00,292.20 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया था जो कि तेरहवें वित्त आयोग के संबंधित आवंटन से तीन गुना अधिक था। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत, वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान 28 राज्यों में पंचायतों के सभी तीन स्तरों, पारंपरिक स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची के क्षेत्रो के लिए आवंटित किए गए हैं। यह अनुदान दो भागों में हैं, अर्थात मूल (अबद्ध) अनुदान और बद्ध अनुदान। अबद्ध अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत निहित 29 विषयों पर महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जाना है। बद्ध अनुदान का उपयोग जल और स्वच्छता के राष्ट्रीय फोकस क्षेत्रों के लिए किया जाना है। चौदहवें वित्त आयोग और

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के राज्य-वार आवंटन और जारी करने का विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत अनुदान की अगली किस्तों की निर्मुक्ति राज्यों द्वारा पिछली किस्तों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुतकरने के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने पर की जाती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्यों को निधियां, अनुमोदित योजनाओं के आधार पर अपेक्षित दस्तावेज अर्थात उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि जमा करने तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का अनुपालन के उपरांत की जाती है।

***

अनुबंध-I

दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्राम पंचायतों के लिए राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदानके तहत आवंटित और जारी राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	934.34	928.41	1463.45	1454.05	1686.85	1675.88	1947.32	1729.23	2622.13	2336.56
2	अरुणाचल प्रदेश	88.52	88.52	138.66	138.45	159.82	141.14	184.49	163.83	248.44	221.38
3	असम	584.80	584.80	915.98	915.98	1055.80	1055.80	1218.82	1082.32	1641.19	1462.45
4	बिहार	2269.18	2269.18	3554.23	3142.08	4096.80	3630.39	4729.38	4199.71	6368.25	5674.70
5	छत्तीसगढ़	566.18	566.18	886.82	886.82	1022.18	1022.18	1180.02	1047.86	1588.94	1415.89
6	गोवा	14.44	14.44	22.62	22.62	26.07	26.07	30.10	26.73	40.53	36.12
7	गुजरात	932.25	932.25	1460.18	1460.18	1683.08	1683.08	1942.96	1725.36	2616.26	2331.33
8	हरियाणा	419.28	419.28	656.72	656.72	756.98	756.98	873.86	775.99	1176.68	1048.53
9	हिमाचल प्रदेश	195.39	195.39	306.05	306.05	352.76	312.60	407.24	361.63	548.36	488.64
10	जम्मू और कश्मीर	373.96	367.72	585.73	474.41	675.15	470.97	779.40	544.83	1049.49	0.00
11	झारखंड	652.83	652.83	1022.53	1022.53	1178.63	1044.45	1360.62	1208.24	1832.12	1632.59
12	कर्नाटक	1002.85	972.36	1570.77	1547.66	1810.55	1784.26	2090.10	1841.54	2814.39	2504.13
13	केरल	433.76	433.76	679.40	679.39	783.12	773.54	904.03	802.78	1217.30	1084.73
14	मध्य प्रदेश	1463.61	1463.61	2292.46	2292.46	2642.40	2638.21	3050.41	2708.78	4107.48	3660.14
15	महाराष्ट्र	1623.32	1623.32	2542.61	2542.61	2930.76	2597.10	3383.28	3004.37	4555.70	4059.55
16	मणिपुर	22.25	22.25	34.84	34.84	40.16	40.16	46.36	41.17	62.43	55.63
17	ओडिशा	955.52	955.52	1496.64	1496.64	1725.11	1725.11	1991.48	1768.44	2681.59	2389.54
18	पंजाब	441.70	441.70	691.84	691.85	797.45	706.66	920.58	817.48	1239.58	1104.58
19	राजस्थान	1471.95	1471.95	2305.52	2305.52	2657.47	2657.47	3067.80	2724.22	4130.90	3681.01
20	सिक्किम	16.03	16.04	25.11	25.11	28.95	28.95	33.41	29.67	44.99	40.09
21	तमिलनाडु	947.65	947.65	1484.31	1484.31	1710.90	1516.12	1975.07	1753.87	2659.50	1821.11
22	तेलंगाना	580.34	580.34	908.99	908.99	1047.75	1047.75	1209.53	1071.59	1628.68	1451.30
23	त्रिपुरा	36.24	36.24	56.76	56.76	65.43	65.43	75.53	67.07	101.71	90.63
24	उत्तर प्रदेश	3862.60	3852.60	6050.02	6034.33	6973.57	6179.65	8050.34	7148.74	10840.04	9659.47
25	उत्तराखंड	203.26	203.26	318.37	318.37	366.97	346.77	423.64	376.19	570.44	508.31
26	पश्चिम बंगाल	1532.21	1470.86	2399.91	2319.48	2766.26	2369.18	3193.39	2740.69	4300.01	3703.25
	कुल	**21624.46**	**21510.46**	**33870.52**	**33218.21**	**39040.97**	**36295.90**	**45069.16**	**39762.32**	**60687.13**	**52461.65**

अनुबंध-II

दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत आवंटित और जारी राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	969.50	2010.00	2031.00	2152.00	2099.00
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	85.00	177.00	179.00	189.00	185.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	593.00	1228.00	1241.00	1315.00	1283.00
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	1854.50	3842.00	3884.00	4114.00	4012.00
5	छत्तीसगढ	1454.00	1454.00	1075.00	537.50	1114.00	1125.00	1192.00	1163.00
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	0.00	57.00	58.00	62.00	61.00
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	1181.00	2446.00	2473.00	2619.00	2555.00
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	467.50	968.00	979.00	1036.00	1011.00
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	158.50	329.00	332.00	352.00	343.00
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	624.50	1293.00	1307.00	1385.00	1351.00
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	1188.50	2463.00	2490.00	2637.00	2572.00
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	601.50	1246.00	1260.00	1334.00	1301.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	1472.00	3050.00	3083.00	3265.00	3185.00
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	2153.50	4461.00	4510.00	4776.00	4659.00
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00	137.00	145.00	142.00
16	मेघालय	182.00	91.00	135.00	0.00	140.00	141.00	149.00	146.00
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	34.50	71.00	72.00	76.00	74.00
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	18.40	96.00	97.00	102.00	99.00
19	उड़ीसा	2258.00	2258.00	1669.00	834.50	1728.00	1747.00	1851.00	1805.00
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	513.00	1062.00	1074.00	1138.00	1110.00
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	1427.00	2957.00	2989.00	3166.00	3087.00
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	15.50	33.00	33.00	35.00	33.00
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	1333.00	2761.00	2791.00	2957.00	2884.00
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	682.50	1415.00	1430.00	1514.00	1477.00
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	70.50	147.00	148.00	157.00	153.00
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	3604.00	7466.00	7547.00	7994.00	7797.00
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	212.50	440.00	445.00	471.00	458.00
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	1630.50	3378.00	3415.00	3617.00	3528.00
	कुल	**60750.00**	**60659.00**	**44901.00**	**22327.90**	**46513.00**	**47018.00**	**49800.00**	**48573.00**

***